[2008] 1 एस. सी. आर **395**

एस. के. दुआ

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य

(2008 की सी ए सं **184)**

जनवरी**, 2008**

[पीठ : न्यायाधिपति सी. के. ठक्कर, न्यायाधिपति डी. के. जैन]

सेवा कानून-सेवानिवृत्ति लाभ-भुगतान में देरी पर ब्याज का दावा-विभागीय कार्यवाही की लंबितता को देखते हुए देरी -अंत में कर्मचारी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया -ब्याज का दावा करने वाली रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में खारिज- प्रतिपादित: ब्याज के लाभ का दावा करने के संबंध में यदि वैधानिक नियम, प्रशासनिक निर्देश या दिशानिर्देश मौजूद थे और संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत भी ब्याज के लाभ का दावा करने का याचिकाकर्ता को पूरा अधिकार था -मामला आरंभ में ही में बर्खास्त किए जाने योग्य नहीं था- तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 , 19 और 21-सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम,

1987 .

अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सिंचाई और बिजली विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान, उन्होंने तत्कालीन सचिव 'Q' द्वारा की गयी कुछ अनियमितताओं और कदाचार को उजागर करने के लिए अप्रैल-मई 1998 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात्, सरकार ने 'Q' को सिंचाई विभाग के सचिव के रूप में हटा दिया। Q मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने। प्रतिशोध के उपाय के रूप में, सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले अपीलार्थी को तीन आरोप पत्र दिए गए। कार्यवाही शुरू की गई। अपनी सेवानिवृत्ति पर, उन्हें केवल अस्थायी पेंशन का भुगतान किया गया और अन्य सेवानिवृत्ति जो कि 12 लाख रुपये थे, का भुगतान नहीं किया गया। अंततः कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और वह सभी लाभ दिए। लेकिन सभी लाभ चार साल की सेवानिवृत्ति के बाद दिये गये। उन्होंने विलंबित भुगतान के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा किया, लेकिन अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिए गए। उन्होंने दावा करते हुए रिट याचिका दायर की, लेकिन वह उच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में खारिज कर दी गयी। इसलिए, वर्तमान अपील दायर की गयी।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने प्रतिपादित किया: 1. मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी द्वारा की गई परिवेदना सही प्रतीत होती है

कि वह इस पर ब्याज के लाभ का हकदार होगा। यदि इस संबंध में वैधानिक नियम हैं, अपीलार्थी उन नियमों के आधार पर ब्याज के भुगतान का दावा कर सकता है। यदि इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक निर्देश, दिशानिर्देश या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तो अपीलार्थी उनके आधार पर ब्याज के लाभ का दावा कर सकता है। लेकिन वैधानिक नियम, प्रशासनिक निर्देश या दिशा-निर्देश के अभाव में भी एक कर्मचारी संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 14,19 एवं 21 के आधार पर ब्याज का दावा कर सकता है। सेवानिवृत्ति लाभ इनाम की प्रकृति के नहीं होते। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को प्रत्यर्थी को बिना सूचना दिये आरंभ में ही खारिज करना सही नहीं था। रिट याचिका को *Rule nisi* जारी करके स्वीकार किया जाना चाहिए था और योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। [पैरा 11 और 12] [401 - ई, एफ, जी; 402-ए, बी]

2. उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार नहीं किया था और इसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी अधिकारियों की ओर से शपथ पत्र नहीं था। इस न्यायालय में राज्य-प्राधिकरणों द्वारा दायर शपथ पत्र में सरकार द्वारा लिया गया रुख यह है कि अपीलार्थी के खिलाफ 'सतर्कता जांच' अभी भी लंबित है। उक्त शपथ पत्र जनवरी, 2005 का है। प्रत्युत्तर शपथ पत्र में, रिट-याचिकाकर्ता ने कहा है कि "'सतर्कता जांच' की कथित विचाराधीनता यदि कोई है तो वह

महत्वहीन है"। न्यायालय को यह भी पता नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ हालांकि काफी अवधि बीत गयी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह दोनों पक्षों के हित में होगा कि मामला इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के बजाय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाये।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और प्रार्थना चार साल बाद उसे भुगतान की गयी सेवानिवृति की बकाया राशि पर ब्याज से संबंधित है इसलिए उच्च न्यायालय से मामले को प्राथमिकता देने और यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है।[पैरा 14] [402-ई, एफ, जी, एच; 403-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील सं. 184

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी.सं. 10025/2005 में निर्णय/आदेश दिनांकित 7.7.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से एम.एन.कृष्णमणि, एस. पानी और अंसार अहमद चौधरी।

प्रत्यर्थी की ओर से मंजीत सिंह, ए.ए.जी. (हरियाणा), टी. वी. जॉर्ज

निर्णय **न्यायाधिपति सी.के. ठक्कर**, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील 7 जुलाई, 2005 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 10025 में

पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट से संपर्क करके राहत पाने के लिए बाध्य करना।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलकर्ता सिंचाई विभाग, हरियाणा में इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में कार्यरत था। उनके अनुसार, वह अगस्त, 1961 में तत्कालीन पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग में सेवा में शामिल हुए और उन्हें हरियाणा राज्य में सिंचाई और बिजली विभाग आवंटित किया गया। उन्हें 31 मई, 1996 को इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्होंने जून, 1998 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक उस पद पर काम किया। अपीलकर्ता के पास 37 वर्षों तक सेवा का बेदाग रिकॉर्ड था। विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान, उन्होंने अप्रैल-मई, 1998 में या उसके आसपास सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तत्कालीन सचिव श्री एसवाई क़ुरैशी द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं और कदाचारों को उजागर किया गया था। सिंचाई और बिजली और सरकार से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से जांच कराने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता के अनुसार, उनके द्वारा की गई शिकायत के अनुसरण में, सरकार ने श्री क़ुरैशी को सिंचाई सचिव के पद से हटा दिया और उन्हें केवल बिजली विभाग के सचिव के रूप में काम करने की अनुमति दी।

4. अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि, प्रतिशोध के उपाय के रूप में, श्री कुरैशी ने अपीलकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ सप्ताह पहले ही 15 मई, 1998 को अपग्रेड करके इंजीनियर-इन-चीफ, कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी के निचले और महत्वहीन विशेष रूप से बनाए गए पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आयोजन किया। उक्त कार्रवाई के अलावा, अपीलकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले जून, 1998 में तीन आरोप-पत्र/कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। हालाँकि, अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने पर 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हो गया। अपीलकर्ता को अनंतिम पेंशन का भुगतान किया गया था, लेकिन उसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए थे, जिसमें पेंशन का परिवर्तित मूल्य, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि शामिल था, जो कुल मिलाकर लगभग रु. 12 लाख है जिसे अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने तक रोक दिया गया था। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप-पत्रों/कारण बताओ नोटिसों का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों से इनकार किया गया और यह दावा किया गया कि वे अनावश्यक थे और गलत इरादे और परोक्ष उद्देश्य से जारी किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सरकारी खजाने को होने वाली संभावित क्षति से बचाने के लिए जनहित में काम किया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 11 जून से 18 जुलाई, 2002 के बीच सभी

सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए। इस प्रकार, अपीलकर्ता के अनुसार, हालांकि वह जून, 1998 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति लाभ, जिसके वे अन्यथा हकदार थे, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के चार साल बाद दिए गए थे।

5. अपीलकर्ता ने कहा है कि, उपरोक्त परिस्थितियों में, वह उस राशि पर ब्याज का हकदार था जिसे प्रत्यार्थियों ने रोक लिया था और काफी देरी के बाद उसे भुगतान किया गया था। इसलिए, उन्होंने कई अभ्यावेदन दिए। उन्होंने विलंबित भुगतान के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा करते हुए 3 जून 2005 को कानूनी नोटिस भी जारी किया। उन्होंने सरकार का ध्यान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों की ओर आकर्षित किया था जिसके तहत एक कर्मचारी ब्याज का दावा करने का हकदार है। अन्यथा भी, ब्याज का भुगतान न करने की कार्रवाई मनमानी, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन थी। हालाँकि, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अपीलकर्ता ने 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को नोटिस जारी किए बिना ही रिट याचिका को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील में उक्त आदेश को चुनौती दी है।

6. 28 अक्टूबर 2005 को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया

गया था। इसके बाद शपथ पत्र और अन्य शपथ पत्र दाखिल किए गए और रजिस्ट्री को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, मामला अंतिम निस्तारण के लिए हमारे समक्ष रखा गया है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को आरंभ में ही खारिज करना पूरी तरह से अनुचित था और उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिका में तथ्य का कोई भी प्रश्न, तथ्य का विवादित प्रश्न तो शामिल ही नहीं था और उच्च न्यायालय द्वारा इसे सरसरी तौर पर खारिज करना गलत था। वकील ने कहा, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सेवानिवृत्ति लाभ इनाम की प्रकृति में नहीं हैं और एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन लाभों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जब तक कि उन्हें सजा के रूप में वापस नहीं लिया जाता या रोक नहीं दिया जाता। अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने हमेशा सरकार के हित में काम किया और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकर्षित करके सरकारी खजाने को बचाया। अपीलकर्ता के खिलाफ बदला लेने के उपाय के रूप में, आरोप पत्र जारी किए गए थे, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, उसके खिलाफ सभी कार्यवाही

रद्द कर दी गई। अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने के मद्देनजर, सरकार को सेवानिवृत्ति लाभों पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए था जो उसे लंबे समय के बाद दिया गया था। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, अपीलकर्ता ब्याज सहित इस तरह के लाभ का हकदार था। उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार करना चाहिए था और उन लाभों को प्रदान करना चाहिए था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यार्थियों को अपीलकर्ता को देय सेवानिवृत्ति देय राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देकर अपील की अनुमति दी जानी चाहिए, जो वास्तव में उसे काफी देरी के बाद भुगतान किया गया था।

9. विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग द्वारा जवाब में एक शपथ पत्र दायर किया गया है। जनवरी, 2005 में दायर जवाबी शपथ पत्र में, अभिसाक्षी ने कहा है कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त होते ही उसके सभी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान कर दिया गया था। अभिसाक्षी ने उन लाभों से संबंधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 का हवाला दिया, जिसके लिए एक कर्मचारी हकदार है और तर्क दिया कि आखिरकार आरोप-पत्र हटा दिए जाने के बाद, अपीलकर्ता को तारीख से तीन महीने के भीतर सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया था। लेकिन आगे यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ सतर्कता जांच अभी भी लंबित हैं। इन

परिस्थितियों में, अभिसाक्षी के अनुसार, अपीलकर्ता ब्याज का हकदार नहीं था और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध या अन्यथा अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

10. प्रत्युत्तर शपथ पत्र में, अपीलकर्ता ने अपील की अनुमति के लिए याचिका में जो कहा था उसे दोहराया और प्रस्तुत किया कि जवाबी शपथ पत्र में सरकार द्वारा लिया गया रुख गलत है और वह उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका एवं वर्तमान अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। यह पक्षों द्वारा और उनके बीच विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता 30 जून 1998 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। यह भी निर्विवाद है कि सेवा से सेवानिवृत्ति के समय, अपीलकर्ता ने सरकारी सेवा में तीन दशक से अधिक समय पूरा कर लिया था। जाहिर है, इसलिए, वह कानून के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार था। यह सच है कि उनके खिलाफ कुछ आरोप-पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और अपीलकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया गया था कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए। हालाँकि, अपीलकर्ता का मामला यह है कि वे सभी कार्रवाइयां श्री क़ुरैशी के कहने पर की गई थीं जिनके विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा कदाचार और द q राचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप श्री क़ुरैशी को सचिव, सिंचाई के पद

से हटा दिया गया था। उक्त श्री क़ुरैशी फिर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने। इसके तुरंत बाद अपीलकर्ता को आरोप पत्र जारी किए गए और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। तथ्य यह है कि अंततः कार्यवाही रद्द कर दी गई और अपीलकर्ता को सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान कर दिए गए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता को वे लाभ चार साल बाद दिए गए। इन परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होती है कि वह ऐसे लाभों पर ब्याज का हकदार होगा। यदि क्षेत्र पर वैधानिक नियम हैं, अपीलकर्ता ऐसे नियमों के आधार पर ब्याज के भुगतान का दावा कर सकता है। यदि इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक निर्देश, दिशानिर्देश या मानदंड निर्धारित हैं, तो अपीलकर्ता उस आधार पर ब्याज के लाभ का दावा कर सकता है। लेकिन वैधानिक नियमों, प्रशासनिक निर्देशों या दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में भी, एक कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर भरोसा करते हुए संविधान के भाग III के तहत ब्याज का दावा कर सकता है। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलील, कि सेवानिवृत्ति लाभ इनाम की प्रकृति में नहीं हैं, हमारी राय में, अच्छी तरह से स्थापित है और इसके समर्थन में किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना भी याचिका को खारिज करना सही नहीं था। यदि इस उद्देश्य के लिए

प्रशासनिक निर्देश, दिशानिर्देश या मानदंड निर्धारित हैं, तो अपीलकर्ता उस आधार पर ब्याज के लाभ का दावा कर सकता है। लेकिन वैधानिक नियमों, प्रशासनिक निर्देशों या दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में भी, एक कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर भरोसा करते हुए संविधान के भाग III के तहत ब्याज का दावा कर सकता है। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलील, कि सेवानिवृत्ति लाभ इनाम की प्रकृति में नहीं हैं, हमारी राय में, अच्छी तरह से स्थापित है और इसके समर्थन में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मामले को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को नोटिस जारी किए बिना ही याचिका को आरंभ में ही खारिज करना सही नहीं था।

12. हमारे लिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की यह दलील कि उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोषों पर विचार करना चाहिए था, जो दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है, उचित है। हमारे विचार में, रिट याचिका को *Rule nisi* जारी करके स्वीकार किया जाना चाहिए था और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एक अप्रकट आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है:

> "याचिकाकर्ता केवल सेवानिवृत्ति लाभ के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान चाहता है। हालाँकि, हम याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट के समक्ष अपने उपचारों का

लाभ उठाने के लिए बाध्य करते हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज किया गया।"

13. अतः, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित कर अपास्त किया जाना चाहिये।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार को उचित निर्देश जारी किया जा सकता है, जो 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद भी लगभग एक दशक बीत चुका है। इसलिए, उन्होंने कहा कि इस मामले को इस न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित करके अंतिम रूप से समाप्त किया जा सकता है। हमने निश्चित रूप से इस पहलू और अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार किया होगा, लेकिन इस तथ्य के लिए कि उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार नहीं किया और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से शपथ पत्र नहीं था। इस न्यायालय में राज्य-प्राधिकरणों द्वारा दायर शपथ पत्र में, सरकार द्वारा अपनाया गया रुख यह है कि अपीलकर्ता के खिलाफ सतर्कता जांच अभी भी लंबित हैं। उक्त शपथ पत्र जनवरी 2005 का है। प्रत्युत्तर शपथ पत्र में, रिट-याचिकाकर्ता ने कहा है कि सतर्कता जांच की कथित लंबितता, यदि कोई है तो वह महत्वहीन है। हमें यह भी जानकारी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, हालांकि काफी

समय बीत चुका है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, यह दोनों पक्षों के हित में होगा कि हम मामले को उच्च न्यायालय में भेज दें ताकि उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार कर सके और उचित आदेश पारित कर सके। कानून के अनुसार हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अपीलकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है और प्रार्थना चार साल के बाद उसे भुगतान की गई सेवानिवृत्ति की बकाया राशि पर ब्याज से संबंधित है। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय से मामले को प्राथमिकता देने और यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः 30 जून, 2008 से पहले निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।

15. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

16. मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है। जब भी रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी, तो इसका निर्णय ऊपर हमारे द्वारा की गई किसी भी

टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार आदेश करें.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नितिशा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।